उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

श्री न्यायमूर्ति एस0 के0 मिश्रा ए0सी0जे0

आदेश संख्या 301 वर्ष 2011 से अपील

24 जून, 2022

मध्य :

मेंसर्स ओ0पी0 कालरा एण्ड ब्रदर्स ..... अपीलकर्ता।

और

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद व अन्य ..... प्रतिवादीगण ।

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता : श्री तपन सिंह,विद्वान अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता : श्री बी0एस0 अधिकारी, विद्वान अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता : श्री राहुल कौंसल,विद्वान अधिवक्ता

साथ

आदेश संख्या 389 वर्ष 2011 से अपील

मध्य:

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद व अन्य ..... अपीलकर्तागण।

और

मेंसर्स ओ0पी0 कालरा एण्ड ब्रदर्स ..... प्रतिवादी।

अपीलकर्तागण की ओर से अधिवक्ता : श्री बी0एस0 अधिकारी, विद्वान अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता : श्री तपन सिंह, विद्वान अधिवक्ता

विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् न्यायालय द्वारा निम्नलिखित सिद्धान्त बनाये गये

सामन्य निर्णय (श्री एस0के0 मिश्रा ए0सी0जे0)

ए0ओ0 संख्या 301 वर्ष 2011 में अपीलकर्ता द्वारा धारा 34 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 (जिसे बाद में 'अधिनियम' के रूप में संबोधित किया गया है।)के आलोक मे विद्वान जिला न्यायाधीश, हरिद्वार द्वारा प्रकीर्ण सिविल (मध्यस्थता) वाद नम्बर 33 वर्ष 2008 में पारित निर्णय के प्रति यह अपवाद लिया गया है, कि एक मालिकाना फर्म, जिसे अनुबंध सौंपा गया था, प्रतिवादी नंबर 1 के अधीन काम करती है और इस परकार रूपये 12,65,147/– की अधिरोपित धनराशि को संशोधित कर, पिछले वादकालीन और भविष्य के प्रति वर्ष 9 प्रतिशत

ब्याज की दर, जो 19.03.2003 से उक्त भुगतान के भुगतान किये जाने तक प्रभावी है, के साथ, रूपये 6,34,279/– किया गया।

2. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा आक्षेपित निर्णय के उन हिस्सों पर हमला करते हुए काउंटर अपील (ए0ओ0 संख्या 389 वर्ष 2011) किया गया, जिनके द्वारा विद्वान जिला न्यायाधीश ने ठेकेदार के पक्ष में पंचाट को आंशिक रूप से बरकरार रखा था।

3. इस स्तर पर मामले के तथ्य विवादित नहीं हैं। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (जिसे बाद में ''यू.पी.ए.ई. वी.पी.'' के रूप में सम्बोद्धित किया गया है) और अपीलकर्त्ता के बीच में रानीपुर, हरिद्वार में कुछ दुकानो के निर्माण को लेकर एक समझौता न0 05/ई.ई./2001–02 दिनांकित 19.09.2001 किया गया था। ठेके की कुल लागत रू0 23,74,498/–थी। ठेकेदार जो कि वर्तमान अपीलकर्ता है के द्वारा कार्य का निष्पादन दिनांक 18.06.2002 तक किया जाना था। निर्धारित समय के भीतर अनुबन्ध की कथित असफलता पर यू.पी.ए.ई. वी.पी. के द्वारा अनुबन्ध को दिनांक 19.03.2003 को रदद कर दिया गया था। फलस्वरूप, प्रतिवादी (यहां अपीलकर्ता) द्वारा आवास आयुक्त को संविदा के खण्ड 32 के अनुसार एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए याचिका दायर की गयी। दिनांक 23.06.20004 को सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता , लोक निर्माण विभाग, लखनउ श्री डी.सी. नोटियाल, को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नामित किया गया था। उनके द्वारा दिनांक 12.08.2004 से दिनांक 15.02.2006 के बीच भिन्न भिन्न तिथियों पर सुनवाई करायी गयी। परन्तु वह मध्यस्थ कार्यवाही को पूर्ण नही कर सके। इसलिए सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग श्री गिरीश चन्द्र र्गग को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया। जिनके द्वारा दिनांक 11.02.2008 को 9 % प्रतिवर्ष ब्याज दर के साथ रूपये 12,65,147/– निर्धारित करते हुए पंचाट घोषित किया गया। विद्वान जिला जज, हरिद्वारा के समक्ष मिस्लेनियस सिविल (मध्यस्थता) वाद संख्या 33 वर्ष 2008 में इस पंचाट को चुनौती दी गयी। मामले की सुनवायी के बाद, विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा दावे की प्रत्येक वस्तु को लिया गया, टिप्पणियों को रद्द किया गया तथा दावा संख्या 2,3,7,8 एवं 9 के सम्बन्ध में पंचाट किया गया। दूसरे शब्दों में, यू.पी.ए.ई. वी.पी. द्वारा पंचाट के प्रति उठाये गये आपत्तियों पर विचार करते समय विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा साक्ष्य का पूनर्मुल्यांकन किया गया तथा वर्तमान अपीलकर्त्ता द्वारा किये गये दावे के प्रत्येक तथ्य या वस्तु को ध्यान में रखा गया।

4. सर्वप्रथम अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री तपन सिंह द्वारा तर्क किया गया कि अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत ऐसा दृष्टिकोण अनुमेय नहीं है। इस न्यायालय तथा साथ ही साथ माननीय उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयो पर करतें हुए उनके द्वारा आगे तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 34 के प्रावधान के आलोक में विद्वान जिला न्यायाधीश केवल सीमित आधारों पर ही पंचाट को रद्द कर सकते है। वह नियमित अपीलीय न्यायालय की तरह विभिन्न दावों तथा अधिकरण के समक्ष उठाई गई आपत्तियों पर विचार कर उनका पूनः आंकलन या पूनः सराहना नहीं कर सकतें।

5. यू.पी.ए.ई. वी.पी. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी. एस.अधिकारी एवं उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद(जिसे बाद में ''यू.के.ए.ई.वी.पी. के रूप में सम्बोद्धित किया गया है) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल कॉन्सल की ओर से तर्क दिया गया कि विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

6. यहां यह ध्यान देने वाली बात है, कि प्रारम्भ मे यह मामला केवल यू.पी.ए.ई. वी.पी. के विरूद्ध दायर किया गया था परन्तु दिनांक 30.11.2021 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश से यू.के.ए.ई.वी.पी.को एक प्रतिवादी पक्ष के रूप में व्यवस्थित किया गया। अभिलेखो से आगे यह देखा गया है, अपील में स्वंय संशोधन को लागू नही किया गया है। इसलिए, कार्यालय आवश्यक संशोधन करे।

7. यह भी स्पष्ट है, कि उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के बाद यू.के.ए.ई.वी.पी. का निर्माण हुआ तथा उत्तराखण्ड राज्य से सम्बन्धित यू.पी.ए.ई. वी.पी. की समस्त सम्पत्तियां एवं देनदारियों को नवनिर्मित में स्थानन्तरित कर दिया गया। यू.पी.ए.ई. वी.पी. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा इसका विरोध नहीं किया गया कि नवगठित राज्य से सम्बन्धित यू.पी.ए.ई. वी.पी. के समस्त सम्पत्तियां एवं देनदारियों को उसे स्थानान्तरित कर दिया गया। इसलिए अपीलकर्त्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री तपन सिंह द्वारा यह कथन किया गया कि पंचाट को सन्तुष्ट करने का का दायित्व यू.के.ए.ई.वी.पी. पर है।

8. अब पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिए गए तर्कों को देखते हुए यह विदित है कि अधिनियम की धारा 34 मध्यस्थ पंचाट को रद्द करने के आधार प्रदान करती हैं। यहां कानून के यर्थाथ शब्दों का संज्ञान लेना उचित है जो निम्नवत हैः–

"34. माध्यस्थम् पंचाट अपास्त करने के लिए आवेदन– (1) माध्यस्थम् पंचाट के विरूद्ध, न्यायालय का आश्रय केवल उपधारा (2) या उपधारा (3) के अनुसार, ऐस पंचाट को अपास्त करने के लिए आवेदन करके ही लिया जा सकेगा।

(2) कोई मध्यस्थम् पंचाट न्यायालय द्वारा तभी अपास्त किया जा सकेगा, यदि–

(क) आवेदन करने वाला पक्षकार यह सबूत देता है कि–

(i) कोई पक्षकार किसी असमर्थता से ग्रस्त था, या

(ii) मध्यस्थम् करार उस विधि के,जिसके अधीन पक्षकारों ने उसे किया है या इस बारे में कोई संकेत न होने पर, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विधिमान्य नहीं है; या

(iii) आवेदन करने वाले पक्षकार को, मध्यस्थ की नियुक्ति की या माध्यस्थम् कार्यवाहियों की उचित सूचना नहीं दी गई थी, या वह अपना मामला प्रस्तुत करने में अन्यथा असमर्थ था; या

(iv) माध्यस्थम् पंचाट ऐसे विवाद से संबंधित है जो अनुध्यात नहीं किया गया है या माध्यस्थम् के लिए निवेदन करने के लिए रख गए निबंधनों के भीतर नहीं आता है या उसमें ऐसी बातों के बारे में विनिश्चय है जो माध्यस्थम् के लिए निवेदित विषयक्षेत्र से बाहर हैः परन्तु यदि, माध्यस्थम् के लिए निवेदित किए गए विषयों पर विनिश्चियों को उन विषयों के बारे में किए गए विनिश्चयों से पृथक् किया जा सकता है, जिन्हें निवेदित नहीं किया गया है, तो माध्यस्थम् पंचाट के केवल उस भाग को, जिसमें मध्यस्थम् के लिए निवेदित न किए गए विषयों पर विनिश्चय है, अपास्त किया जा सकेगा; या

(v) माध्यस्थम् अधिकरण की संरचना या माध्यस्थम् प्रक्रिया, पक्षकारों के करार के अनुसार नहीं थी, जब तक कि ऐसा करार इस भाग के उपबंधों के विरोध में न हो ओर जिसमें पक्षकार नहीं हट सकते थे, या ऐसे करार के अभाव में, इस भाग के अनुसार नहीं थी; या

(ख) न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि–

(i) विवाद की विषय– वस्तु, तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन माध्यस्थम् द्वारा निपटाए जाने योग्य नही है; या

(ii) माध्यस्थम् पंचाट भारत की लोक नीति के विरूद्ध है।

स्पष्टीकरण– उपखंड (ii) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी शंका को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि कोई पंचाट भारत की लोक नीति के विरूद्ध है यदि –

(i) पंचाट का दिया जाना कपट या भ्रष्ट आचरण द्वारा उत्प्रेरित या प्रभावित किया गया था या धारा 75 अथवा धारा 81 के अतिक्रमण में था।

(ii) वह भारतीय कानून की मौलिक नीति का उल्लंघन है या

(iii) वह नैतिकता या न्याय की अत्यंत आधार भूत धारणाओं के विरोध में है।

स्पष्टीकरण 2. किसी शंका को दूर करने के लिए, इस बात की जांच कि भारतीय विधि का मूलभूत नीति का उल्लंघन हुआ है अथवा नही, विवाद के गुणावगुण के पुर्नविलोकन के अवाश्यक नहीं बनाएगी।

(2क) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यसीमों से भिन्न माध्यसीमों से उद्‌भूत किसी माध्यसीम् पंचाट को भी न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा सकेगा यदि न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि पंचाट को देखने से ही यह प्रतीत होता है कि वह प्रकट अवैधता से दूषित हैः

परन्तु किसी पंचाट को केवल विधि के गलत उपयोग के आधार पर साक्ष्य का पूनर्मूल्यांकन करके अपास्त नहीं किया जाएगा।

(3) अपास्त करने के लिए कोई आवेदन, उस तारीख से, जिसको आवेदन करने वाले पक्षकार ने माध्यस्थम् पंचाट प्राप्त किया था, या यदि अनुरोध धारा 33 के अधीन किया गया है जो उस तारीख से, जिसको माध्यथम् अधिकरण द्वारा अनुरोध का निपटारा किया गया था, तीन मास के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह कि जहां न्यायालय का यह समाधन हो जाता है कि आवेदक उक्त तीन मास की अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था तो वह तीस दिन की अतिरिक्त अवधि में आवेदन ग्रहण कर सकेगा किन्तु इसके नश्चात् नहीं।

(4) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होन पर, जहां यह समुचित हो और इसके लिए किसी पक्षकार द्वारा अनुरोध किया जाए, वहां न्यायालय, माध्यस्थम् अधिकरण को इस बात का अवसर दने के लिए कि वह माध्यस्थम् कार्यवाहियों को चालू रख सके या ऐसी कोई अन्य कार्रवाई कर सके जिसमें माध्यस्थम् अधिकरण की राय में माध्यस्थम् पंचाट के अपास्त करने के लिए आधार समाप्त हो जाएं, कार्यवाहियों को उतनी अवधि के लिए स्थगित कर सकेगा जो उसके द्वारा अवधारित की जाएं।

(5) इस धारा के अधीन कोई आवेदन किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को पूर्व सूचना जारी करने के पश्चात ही फाइल किया जाएगा और ऐसे आवेदन के साथ आवेदक द्वारा उक्त अपेक्षा के अनुपालन का पृष्ठांकन करते हुए एक शपथपत्र संलग्न किया जाएगा।

(6) इस धारा के अधीन आवेदन का निपटारा यथाशीघ्र और किसी भी दशा में उस तारीख से, जिसकी उपधारा (5) में निर्दिष्ट सूचना दूसरे पक्षकार पर तामील की जाती है, एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा।''

9. **जय प्रकाश एण्ड सन्स बनाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, 2022 (1) यू0 सी0 161**(आदेश संख्या 499 वर्ष 2011 दिनांकित 30.11.2021 से अपील) में इस न्यायालय द्वारा इसी तरह का मामला निर्णित किया गया और अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानों तथा **पी. एस. ए. एस.आइ. सी.ए.एल. टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटिड बनाम वी0ओ0 चिदम्बरनार पोस्ट टस्ट ट्यूटिकोरिन के न्यासी बोर्ड, (2021) एस.सी.सी. 508** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित सिद्धान्त को ध्यान मं रखतें हुए यह निर्धारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रस्तुत एक आवेदन में न्यायालय से एक अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करने तथा साक्ष्यों की पुनः सराहना करने की अपेक्षा की जाती है। इस न्यायालय द्वारा आगे यह निर्धारित किया गया कि हस्तक्षेप करने का दायरा अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रदान किये गये आधारों तक सीमित होगा। हस्तक्षेप की आवश्यकता तब होगी जब पंचाट ''भारत की सार्वजनिक नीति'' जिसे ''भारतीय कानून की मौलिक नीति'' के रूप में आयोजित किया गया है, का उल्लंघन करता हो। पंचाट के गुण अवगुण के आधार पर न्यायिक हस्तक्षेप किये जाना अनुमेय नही होगा। आगे यह प्रतिपादित किया गया है कि अधिनियम की धारा 18 और 34(2)(क)(iii) में निहित प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त ही पंचाट को चुनौती देना का आधार रहेगा।

10. इसी प्रकार ''वेल्सपन स्पेशियेलिटी सोल्यिूशन लिमिटेड (पूर्व में रेमी मेटल्स गुजरात लि0के नाम से जाना जाने वाला) (2022) 2एस0सी0सी0 382'', मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये पारित किया गया है कि चनौती देने के लिए अधिनियम की धारा 34 कुछ विशेष आधार प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 34 मे दिये गये सीमित आधारों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न अवसरों पर व्याख्यानित किया गया है। उपरोक्त कथित मामले में , पंचाट को चनौती इस आधार पर दी गयी थी कि यह लोक नीति तथा प्रकट अवैधता के विरूद्ध है। लोक नीति चनौती के आधार के रूप में हमेंशा कुछ संहदेहस्पाद रहा है। 'लोक नीति' शब्द पंचाट को अपीलीय मंच पर अनंत आधार पर चनौती देने के लिए 'कैच ऑल प्रोविजन' को संकेत नही देता है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि इसका दायरा इतने विविधतापूर्ण तरीके से व्याख्यानवित किया गया है कि धारा 34 के क्षेत्राधिकार को सीमित करने का उद्देश्य ही विफल हो गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आगे यह अवधारित किया गया है, कि न्यायालय का न्यायशास्त्र भी यह दर्शाता है कि धारा34 (2)(ख) बहुत मंथन से होकर गुजरी है तथा उसका विकास जारी है। धारा 34 का उद्देश्य न्यायालय की अपीलीय शक्तियों तथा मध्यस्थ प्रक्रिया के मध्य संतुलन रखना है।

11. इस मामले में यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत आवेदन पर निर्णय करते समय विद्वान जिला न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर नही पहूचे, कि मध्यस्थ पंचाट की अखण्डता पर कोई सन्देह हैं। दावे की प्रत्येक वस्तु तथा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के उपरान्त, विद्वान जिला न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहूचे है, कि ऐसी धनराशि नही दी जानी चाहिए थी।

12. इस न्यायालय द्वारा मेसर्स अरविन्द एसोसिएट बनाम भारत संघ, (आदेश संख्या 355 वर्ष 2008 से अपील दिनांकित 23.08.2021) में इस न्यायालय की को–ऑर्डिनेट बेंच द्वारा पारित निर्णय पर भी विचार किया गया, जिसमें को–ऑर्डिनेट बेंच द्वारा 'परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम एम. हकीम व अन्य, 2021 एस0सी0सी0 ऑनलाइन एस0सी0 473'' में पारित निर्णय पर विचार किया गया तथा यह निष्कर्ष निकाला गया कि अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रक्रिया में विद्वान जिला न्यायाधीश एक नियमित अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नही करेगे, बल्कि मध्यस्थ अधिकरण द्वारा पारित पंचाट को अपास्त करने हेतु उन्हें अपने निष्कर्षो को अधिनियम की धारा 34 में अर्न्तनिहित आधारों तक ही सीमित रखना चाहिए।

13. इस मामले को देखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता है। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 21.05.2011 अपास्त किया जाता है और एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पारित मध्यस्थ पंचाट दिनांकित 25.08.2008 पूर्नस्थापित किया जाता है।

14. यू.पी.ए.ई.वी.पी. तथा यू.के.ए.ई.वी.पी. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के अनुग्रह/हस्तक्षेप की मांग मात्र उन साक्ष्यों तथा दावों, जिन्हें एक नियमित अपील की तरह ठेकेदार के पक्ष में स्वीकृत कर दिया गया था, के पूर्नमूल्यांकन के लिए की गयी।

15. इस न्यायालय द्वारा पिछले पैरों में यह निर्धारित किया गया है, कि ऐसा दृष्टिकोण अनुमेय नहीं है और इस कारण से तथा पिछलें पैरों में उपरोक्त कथित कारणों से इस न्यायालय द्वारा यू. पी.ए.ई.वी.पी. की ओर से प्राथमिकता प्रदान किये गये ए0 ओ0 संख्या 389 वर्ष 2011 में कोई सार/गुण नहीं पाया गया तथा एतद्द्वारा उसे खारिज कर दिया गया।

16. अभिलेख से ज्ञात होता है, कि यू.पी.ए.ई.वी.पी की ओर से प्राथमिकता प्रदान किये गये ए0 ओ0 संख्या 389 वर्ष 2011 से की गयी अपील में इस न्यायालय द्वारा परित आदेश दिनांकित 10. 10.2011 के अनुसार विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 21.05.2011 के आदेशानुसार समस्त अधिरोपित धनराशि यू.पी.ए.ई.वी.पी. द्वारा जमा की गयी है। जिसे अपीलकर्त्ता के पक्ष में निर्मुक्त किया जाएगा। जहां तक शेष धनराशि का प्रश्न है तो वह यू.के.ए.ई.वी.पी. द्वारा अपीलकर्त्ता को भुगतान की जाएगी। यू.के.ए.ई.वी.पी. को आदेशित किया जाता है कि वह यह धनराशि पंचाट के केवल अदेय भाग पर 9% प्रतिवर्ष ब्याज की दर के साथ आज से तीन माह की अवधि के भीतर भुगतान करेगा।

17. नियमानुसार तत्काल इस आदेश की प्रमाणित प्रति पक्षकारों के विद्वान आधिवक्तागण को प्रदान की जाएं।

(एस0 के0 मिश्रा, ए0सी0जे0)

दिनांकितः 24 जून, 2022